

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति, (ii) वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ, तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 23 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर ₹ 2,271.08 करोड़ के वित्तीय परिणाम के साथ सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 20,206 करोड़ से बढ़कर ₹ 35,074 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 16,216 करोड़ से 79 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 29,083 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय में 80 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था, जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 19 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 11.57 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं।

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 24,889 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 27,105 करोड़ थी। इसमें से, 44 प्रतिशत की वृद्धि कर राजस्व (₹ 10,164.93 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹ 1,769.53 करोड़) के द्वारा हुई। शेष 56 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों का राज्यांश (₹ 7,084.91 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 8,085.20 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,216 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा माल और सेवा कर (जी एस टी) को प्रभावी रूप से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक जी एस टी में समाहित/असमाहित करों को शामिल करते हुए जी एस टी के अंतर्गत कुल प्राप्ति ₹ 7,006 करोड़ थी (आई जी एस टी के अनंतिम आवंटन एवं राज्य की क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए)।

31 मार्च 2018 को, उत्तराखण्ड में 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगम एवं 08 अकार्यरत कंपनियों को सम्मिलित करते हुए 27 सरकारी कंपनियाँ) थे। 30 सितम्बर 2018 तक, अंतिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षेत्र ने ₹ 8,770.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया।

ऊर्जा क्षेत्र में सा क्षेत्र

31 मार्च 2018 को, चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6,309.01 करोड़ था। निवेश में 46.72 प्रतिशत इक्विटी तथा 53.28 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 385.03 करोड़ एवं ₹ 81.95 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्त

₹ 103.45 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 53.00 करोड़, ₹ 35.49 करोड़ एवं ₹ 14.96 करोड़ सम्मिलित थे। चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से, 2017-18 के लिए तीन कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए थे। वित्तीय विवरणों के अनुसार, दो साक्षे उ ने ₹ 92.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा एक साक्षे उ ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि वहन की।

साक्षे उ - ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त

31 मार्च 2018 को, 26 साक्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 4,118.59 करोड़ था। इसमें से, उत्तराखण्ड सरकार का इक्विटी में ₹ 1,036.73 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण में ₹ 337.29 करोड़ का योगदान था। इन साक्षे उ में कुल निवेश में 82.91 प्रतिशत इक्विटी तथा 17.09 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन साक्षे उ को प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 378.35 करोड़ एवं ₹ 712.23 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान दी गयी ₹ 712.23 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 63.02 करोड़ एवं ₹ 649.21 करोड़ सम्मिलित थे। कुल 26 साक्षे उ में से, किसी भी साक्षे उ ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इस प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में संयोजित किया गया है। अध्याय-I से सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र, अध्याय-II राजस्व क्षेत्र तथा अध्याय-III से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) संबद्ध हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ नीचे सारांशित किये जा रहे हैं।

अध्याय-1

निष्पादन लेखापरीक्षा

1.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति

भारत सरकार द्वारा, निर्धारित मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को विशेष रूप से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) शुरू की गई थी। राज्य के गठन (नवम्बर 2000) से यह योजना उत्तराखण्ड में संचालित थी। सबसे गरीब व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता¹ सुनिश्चित करने के लिए, दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) शुरू की गई थी। सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने (दिसम्बर 2012 में) 'टी पी डी एस के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक प्लान योजना शुरू की।

आगे, भारत में संसद द्वारा, लोगों को गरिमायुक्त जीवन जीने हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) अधिनियमित (सितम्बर 2013) किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन और वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा, राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन; पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण; खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उठान, वितरण, परिवहन और भण्डारण में कमजोरियों को सामने लायी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण योजना' के अन्तर्गत सप्लाई चेन और फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन निर्धारित तिथि से चार से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लागू नहीं किए गए।

[प्रस्तर 1.2.7]

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि पात्रता मानदण्ड से संबन्धित अपूर्ण सूचनाएँ लिए जाने के दृष्टांत थे, जिसके परिणामस्वरूप कोई आश्वासन नहीं था कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। इससे अपात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु शामिल किया गया और पात्र लाभार्थियों को बाहर रखा गया।

[प्रस्तर 1.2.8.1 एवं 1.2.8.2]

¹ ए ए वाई परिवारों को, प्रतिमाह 24.600 कि ग्रा चावल और 10.400 कि ग्रा गेहूँ विशेष रियायती दर क्रमशः तीन रुपये प्रति कि ग्रा और दो रुपये प्रति कि ग्रा पर प्रदान करते हुए।

- विभाग, कमीशन एजेन्टों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सका।

[प्रस्तर 1.2.9.1]

- विभाग ने राज्य में ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी को) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया।

[प्रस्तर 1.2.10.2]

- राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी। राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर 44 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के मध्य और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत भण्डारण क्षमता की कमी थी।

[प्रस्तर 1.2.11.3]

- वेयरहाउस मैनुअल के अनुसार भण्डारण गोदामों में बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था।

[प्रस्तर 1.2.11.5]

- विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक से ₹515.85 करोड़ की नगद साख सीमा प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग को नगद साख सीमा के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण ₹19.35 करोड़ का नुकसान हुआ।

[प्रस्तर 1.2.12.2]

- लेवी स्कीम के अन्तर्गत अधिप्राप्त चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को मंडी श्रम प्रभार के रूप में ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

[प्रस्तर 1.2.12.5]

- राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी और राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार वर्ष बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर या चयनित जनपदों में किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी रही।

[प्रस्तर 1.2.13.1, 1.2.13.2, 1.2.13.3 व 1.2.13.4]

- अधिनियम शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु नियम तैयार नहीं किए गए थे।

[प्रस्तर 1.2.13.5]

अनुपालन लेखापरीक्षा

निष्क्रिय व्यय

उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध, राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर, देहरादून द्वारा ₹ 2.59 करोड़ के व्ययोपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावास की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका तथा छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा रहा।

[प्रस्तर 1.3]

राजस्व की हानि

गृह विभाग से संबद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित दर पर प्रशमन शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण ₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि।

[प्रस्तर 1.4]

विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी (18 प्रतिशत ब्याज दर सहित) और विशेष ब्याज सब्सिडी की वसूली न किया जाना

यद्यपि योजना के दिशानिर्देश, सब्सिडी दिये जाने की शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में वसूली का प्रावधान करता है फिर भी उद्योग विभाग तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी एक दोषी औद्योगिक इकाई से ₹ 49.56 लाख की वसूली करने में विफल रहा।

[प्रस्तर 1.5]

निष्क्रिय व्यय/उद्देश्यों की पूर्ति न होना

अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग, द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹ 46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

[प्रस्तर 1.6]

उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत ब्लड बैंक, राष्ट्रीय रक्त नीति में परिकल्पित 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान (वी बी डी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) द्वारा दी गई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं थीं। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त

आँकड़ों के अनुसार वी बी डी की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 ब्लड बैंक पाँच महीने से लेकर बीस साल तक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ही चल रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले आवश्यक 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 नियमित निरीक्षण ही किए जा सके। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से पाँच निर्धारित समय में उपकरणों की कैलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। डोनर एवं मास्टर पंजिकाओं का रखरखाव अधिनियम में निर्धारित पूर्ण प्रपत्र में नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.7]

अनुपस्थित चिकित्सकों से ₹ 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सकों से करार भंग होने के कारण ₹ 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति को वसूल करने में असफल रहा। दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य विफल हुआ।

[प्रस्तर 1.8]

परिहार्य व्यय

अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खण्ड, हरिद्वार द्वारा 192.69 मीट्रिक टन आधिक्य स्टील की अप्रयुक्त मात्रा के लिए ₹ 1.69 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे बचा जा सकता था यदि स्टील की आधिक्य मात्रा का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता।

[प्रस्तर 1.9]

प्रतिशत प्रभार का करारोपण नहीं करना

प्रतिशत प्रभार के करारोपण के संबन्ध में अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण प्रभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण सरकारी खजाने को ₹ 73.20 लाख की क्षति होना।

[प्रस्तर 1.11]

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में समाज कल्याण विभाग सक्षम नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी। जिसके परिणामस्वरूप, 614 लाभार्थियों को ₹ 0.17 करोड़ के अधिक भुगतान के प्रकरण थे, मृत व्यक्तियों को ₹ 0.10 करोड़ का वितरण किया गया, अपात्र व्यक्तियों को ₹ 4.18 करोड़ का वितरण किया गया और 85 लाभार्थियों को ₹ 0.21 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया। भारत सरकार से

निधियों की कम माँग करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 33.29 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। अपात्र लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से ₹ 7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया। त्रैमासिक पेंशन किस्त के भुगतान में 366 दिनों तक के विलम्बित भुगतान के प्रकरण थे। 34,551 लाभार्थियों को ₹ 15.25 करोड़ के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए तंत्र भी लागू नहीं था।

[प्रस्तर 1.12]

देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) ने वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी 12 वायु प्रदूषकों की निगरानी नहीं की। यू ई पी पी सी बी द्वारा अपनी 'सहमति व्यवस्था' के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वय नहीं किया गया। प्रदत्त सहमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात इसके नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि सभी वाहन 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए पुनः आएंगे। यह ईंट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने विनियामक कार्य का निर्वहन करने में भी विफल रहा। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई। यह अपनी कार्य पद्धति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

[प्रस्तर 1.13]

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.2 वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ

वनों का विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में सम्मिलित है। वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा विभिन्न वन उपजों पर रॉयल्टी, फीस एवं अर्थदण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम (व स अ), 1980 जो कि केंद्रीय विधान हैं तथा समय-समय पर संशोधित उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं

अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012 एवं उपखनिज परिहार नियमावली एवं इनके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं/आदेशों के द्वारा शासित होता है।

वन विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कि स्वयं को बनाए रखने के लिए स्वतः ही सक्षम होते हैं। विभाग का प्राथमिक कर्तव्य वनों को बनाये रखने की प्रणाली तथा सुरक्षा का प्रबंधन एवं वृक्षारोपण गतिविधियों द्वारा उनका संरक्षण एवं वृद्धि करना है। वन संसाधनों को बनाये रखना सरकार को वन-वर्धनिक संक्रियाओं के माध्यम से सतत राजस्व प्राप्त करवाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वनों से प्राप्तियाँ करेत्तर प्राप्तियाँ हैं एवं 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार की कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में इसका भाग 17.58 प्रतिशत से लेकर 31.63 प्रतिशत तक रहा। वन विभाग की राजस्व प्राप्तियों पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गयी कि क्या वन संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व को इष्टतम करने के उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास पर्याप्त थे एवं विदोहन के लिए उपलब्ध संसाधनों को राज्य के हित में राजस्व वृद्धि करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके से उपयोग में लाया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में अनेक प्रणालीगत कमियाँ उजागर हुईं और यह वन संसाधनों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार के समक्ष अवसरों को रेखांकित करता है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- विभाग कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की प्रणालीगत समस्या से जूझ रहा था क्योंकि वर्तमान में लागू 24 कार्य योजनाओं में से कोई भी कार्य योजना विभाग के द्वारा समय पर तैयार नहीं की जा सकी। विभाग ने कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की समस्या पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014 में निर्दिष्ट स्थायी कार्य योजना इकाइयाँ भी स्थापित नहीं की।

[प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2]

- कार्य योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण दो प्रभागों में वृक्ष-पातन की गतिविधियाँ बंद करनी पड़ीं जिससे ₹ 75.37 करोड़ की रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हो सकी।

[प्रस्तर 2.2.8.1]

- साल वनों में आवरण खोलने की संक्रिया न करने के कारण विभाग ₹ 330.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, आवरण खोलने की संक्रिया के अभाव का विपरीत प्रभाव नए साल वृक्षों की संवृद्धि एवं साल वनों की समग्र गुणवत्ता पर भी पड़ता है।

[प्रस्तर 2.2.8.2]

- दो प्रभागों में वृक्षों को पातन हेतु चिन्हित न कर सकने के कारण पातन नहीं हुआ एवं आंकलित मात्रा में प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 27.90 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं हो सकी।

[प्रस्तर 2.2.8.3]

- यू एफ डी सी द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 14.28 करोड़ की रॉयल्टी अप्राप्त रही।

[प्रस्तर 2.2.8.4]

- 2013-18 की अवधि के दौरान यूकेलिप्टस की रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 31.19 करोड़ की रॉयल्टी की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.8.5]

- 2013-18 की अवधि के दौरान यू एफ डी सी द्वारा जलौनी प्रकाष्ठ के विक्रय से ₹ 13.94 करोड़ एवं वृक्षों की जड़ों के विक्रय से ₹ 42.17 करोड़ की प्राप्ति हुई। तथापि, विभाग को इन राशियों में से कोई भी भाग प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वृक्षों की जड़ों एवं जलौनी पर रॉयल्टी आरोपित करने के लिए आवश्यक तंत्र का अभाव था।

[प्रस्तर 2.2.8.6]

- बद्रीनाथ एवं टिहरी वन प्रभागों द्वारा लीसा विदोहन की समय सीमा का पालन न किये जाने के कारण लीसा का उत्पादन कम रहा जिससे ₹ 2.39 करोड़ की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.9.1]

- योग्य चीड़ वृक्षों को लीसा उत्पादन के लिए कार्य योजना में सम्मिलित न किए जाने के कारण विभाग को प्रति वर्ष ₹ 2.47 करोड़ की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.9.2]

- वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र ने नदी तल से अवैध खनन के कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर आरोपित की गयी ₹ 1.96 करोड़ की माँग को निरस्त करके एवं ₹ 6.34 करोड़ की माँग को ₹ 0.29 करोड़ में परिवर्तित करने के कारण विभाग को राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.2]

- उपखनिजों से त्रुटिपूर्ण दरों पर अभिवहन शुल्क वसूल किए जाने के कारण ₹ 72.27 लाख की क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.3]

- विभाग द्वारा आठ लीज़ ग्रहणकर्ताओं से वसूली योग्य ₹ 417.95 करोड़ का प्रीमियम एवं लीज़ किराया वसूल नहीं किया गया।

[प्रस्तर 2.2.10.4]

अनुपालन लेखापरीक्षा

कर का न्यूनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा गलत दर से कर लागू करने के कारण कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख की राजस्व क्षति।

[प्रस्तर 2.3]

अर्थदण्ड का अनारोपण

टी डी एस विलम्ब से जमा करने के कारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यवसायी से ₹ 0.59 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ब्याज की वसूली न किया जाना।

[प्रस्तर 2.4]

कर का अनारोपण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चावल के आटे की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के स्थान पर कर मुक्त बिक्री माने जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.59 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.5]

अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री

आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री किये जाने पर प्रशमन शुल्क के कम आरोपण के कारण ₹ 19.50 लाख की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.6]

खनिजों के भण्डारण हेतु शुल्क का अनारोपण

तीन भण्डारकर्ताओं से खनिजों के भण्डारण हेतु निर्धारित शुल्क का अनारोपण एवं वसूली न किए जाने के कारण खनन विभाग को ₹ 3.17 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.7]

खनन प्राप्ति की वसूली न किया जाना

खनन विभाग द्वारा स्टोन क्रशर मालिकों से ₹ 1.21 करोड़ के विनियमितीकरण शुल्क और ₹ 0.65 करोड़ के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.8]

रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना

खनन विभाग द्वारा रॉयल्टी की गणना गलत दर से किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 32.74 लाख की रॉयल्टी का कम वसूल किया जाना।

[प्रस्तर 2.9]

शुल्क का अनारोपण

खनन विभाग द्वारा पट्टों पर रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के अनारोपण से जिला खनिज फाउण्डेशन में ₹ 59.68 लाख की धनराशि कम जमा हुई जिसका उपयोग खनन से सम्बन्धित कार्यों से प्रभावित लोगों/क्षेत्रों के लाभ के लिए किया जाना था।

[प्रस्तर 2.10]

अध्याय-III**अनुपालन लेखापरीक्षा****आय की हानि**

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को प्रचलित दर से कम दर पर भूमि पट्टे पर देने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के पट्टा किराया का परित्याग करना पड़ा।

[प्रस्तर 3.4]

राजस्व की हानि

उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लाभार्थियों से ऋण के रूप में दिये गए ₹ 12.94 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कम्पनी ने अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर के निगमों को ₹ 8.29 करोड़ वापस कर दिये।

[प्रस्तर 3.5]

ब्याज की हानि

अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने ₹ 1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

[प्रस्तर 3.6]

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में नियमित रूप से चूक करने के बावजूद भी उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बार-बार किश्तों का पुनः निर्धारण कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राजस्व की वसूली नहीं हुई।

[प्रस्तर 3.7]